The Chitransh Academic & Research
International Journal of Multidisaciplinary Reseaech
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 3 |June 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

भारत में धर्मांतरण की समस्या: जनजातीय समाज के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. प्रवीण कुमार गुप्त [1] डॉ. संजय यादव [2]

[1] सहायकआचार्य, योगविज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्यप्रदेश

[2] सहायकआचार्य, जनजातीयअध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्यप्रदेश

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: ***01.06.25***

*Accepted:****24.06.25***

Published: ***30/06/25***

Keywords: आदिवासी, जनजातीय, विस्थापन, सभ्यताएं, धर्म परिवर्तन

ABSTRACT

छत्तीसगढ़ राज्य अपनी प्राकृतिक सम्पदा तथा सांस्कृतिक धरोहर के लिए सुविख्यात है। यहाँ प्रकृति ने अकूत खनिज सम्पदा का भंडार दिया है।9 जनवरी 2023 की एक घटना ने छत्तीसगढ़राज्यकेबस्तरसंभागकेनारायणपुरजिला को अशांतकर दिया।इसका मूल कारण था धर्मांतरण।वस्तुत: छत्तीसगढ़,मध्यप्रदेश,उड़ीसा एवं झारखंड के जनजातीय समाज धर्मांतरण और मसीही आतंक से पीड़ित है।पिछले दिनों ईसाई मिशनरियों और ईसाई धर्मावलंबियों के साथ हुई हिंसक घटनाओं ने धर्मांतरण और धार्मिक समरसता के प्रश्न को एक बार पुनः विचारणीय कर दिया।यह घटनाएं हिंदू बनाम ईसाई शत्रुता के रूप में प्रचारित हुई।ऐसी घटनाएं दो संस्कृतियों के बीच आपसी विद्वेष और संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह एक चिंताजनकप्रवृत्ति की ओर संकेत है। चिंता का विषय यह है कि क्या धर्मांतरण पर रोक लगाई जानी चाहिए? यदि हां तो क्या मानवीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा,यदि नहीं तो क्या यह संभव है कि धर्मांतरण की छूट रहते हुए भी धार्मिक शत्रुता न पनपे?क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है?धर्मांतरण को लेकर तरह तरह के वाद विवाद जन्म लेते रहते हैं वाद-विवाद की प्रक्रिया होनी भी चाहिए जिससे उपयोगी सामजिक सन्दर्भों को ग्रहण किया जा सके। संवाद द्वारा समस्याओं का समाधान भी होता है और उससे निकले निहितार्थ समाज के लिए उपयोगी भी होते हैं।

प्रस्तावना

समाज में विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है।ऐसी कल्पना की जातीहै कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी संपन्न जीवनयापन करें।इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।वर्तमान परिवेश में जनजातीय समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है।"**आदिवासी**" शब्द का प्रयोग विशिष्ट पर्यावरण में रहने वाले, विशिष्ट भाषा बोलने वाले, विशिष्ट पद्धति में जीवन तथा परंपराओं में रहने वाले, संतोषी, श्रमशील और भारतीय ज्ञान परंपरा के धार्मिक और सांस्कृतिक **मूल्यों** को संभाल कर रखने वाले मानव समूह के सन्दर्भ **में** किया जाता है।[1]किसी समुदाय को जनजातीय के तौर पर परिभाषित करते समय उसके भौगोलिक अलगाव, उसकी विशिष्ट संस्कृति,आदिम **विशेषताओं**,आम सामाजिक समुदाय से घुलने मिलने में संकोच और आर्थिक पिछड़ेपन जैसी बातों का ध्यान रखा जाता है।[2]भारतीय संविधान में कहीं भी आदिवासी **शब्द** का प्रयोग नहीं किया गया है।संविधान के **अनुच्छेद** 366(25) मेंयह उपबंधित है की अनुच्छेद तीन सौ बयालीस के अनुसार राष्ट्रपति जिसे अनुसूचित **जनजातिघोषित** करेगा वही अनुसूचित जनजाति समझी जाएँगी।[3]यह आवश्यक नहीं की एक राज्य में रहने वाली जनजाति दूसरे राज्य में भी जनजाति हो।वेरियर **एल्विन** ने अपनी पुस्तक अबोरिजनल्स में **जनजातियों** को आदिवासी नाम से संबोधित किया है।वे **लिखतें** है की "आदिवासी भारत की वास्तविक **स्वदेशी** उपज है जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति **विदेशी** है।ये वे प्राचीन लोग है जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं।ये सबसे पहले यहाँ आये इन पर सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए।[4] जी. एस. घुर्ये ने अपनी पुस्तक दी एबोरिजन एंड देयर **फ्यूचर** में जनजातीय समुदाय को पिछड़ा हिंदू मानाहै।[5]

मतभिन्नता के बाद भी **जनजातियों** के मूल निवासी संबंधी निम्नलिखित **प्रतिमान** दिखाई देते हैं[6]-

समुदायकाअभावग्रस्तक्षेत्रोंमेंनिवासकरना।

- एकविशिष्टसंस्कृतिजोमूलत: **प्रकृति** कोप्रधानतादेतीहै।
- **श्रमविभाजनऔरजातिप्रथाकाअभाव।**

- आहार संबंधी योजनाओं का अभाव।
- आहारऔरअन्यआवश्यकताओंकेलिएउपलब्धवनो,वनस्पतियों,खाद्यपदार्थ,प्राप्तभूमिऔरजलस्रोतोंपर निर्भरता।

भारत के विभिन्न भागों में पायी मेंजाने वाले जनजातीय समूह का भौगोलिक वितरण इस प्रकार देखा जा सकता है।जैसे उत्तर में शिमला लेह, लुशाई की पहाड़ियों तथा पीरमी का स्थान आता है।कश्मीर का पूर्वी पंजाब,उत्तर प्रदेश,आसाम तथा सिक्किम भी इसी भागमेंआते हैं।इस प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियां जैसे लेप्चा, डफला,पिरमी,गारो,नागा,कुकी,अबोरऔर गुरुंग, चकमा आदि हैं।उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पंजाब,राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात की जनजातियां आती हैं।राजस्थान की जनजातियोंमें भील,गरसिया, मीणा तथा कटकारी, डबरा प्रमुख जनजातियां हैं।मध्यवर्तीक्षेत्र में जैसे बिहार में ओरांव,बिरहोर,मुंडा,संथाल,उड़ीसा में ज्वाग,सोरा,बोदो, खोड़ तथा मध्य प्रदेश में गोंड, वैगा, कोल, भील, भूमिया आदि आते हैं।दक्षिणी क्षेत्रों में जैसे मैसूर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश में प्रमुख रूपमें से कैनी, कुरीचमा, टोडा,चेठी इस्ला, चेचू, कुरेवन आदिजनजातियां पायी जाती हैं।[7]

धर्मांतरण अथवा धर्म परिवर्तन पहले भी होता था।आज भी हो रहा है।भारत के इतिहास में हमें ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं।जब किसी समुदाय विशेष के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने किन्ही मानदंडों या आस्थाओं के आधार पर एक धर्म का परित्याग कर दूसरे धर्म को अपना लिया या एक नवीन धर्म की स्थापना करके अपने धर्मांतरण को उचित ठहराने के लिए अन्य धर्मों के आचार्यों से बराबर साक्षात्कार किया जैसे सम्राट अशोक, डॉ. अंबेडकर एवं महात्मा बुद्ध।भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार एवं पालन करने और प्रचार-प्रसार करने का मूल अधिकार देता है अतः धर्म परिवर्तन किसी भी व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है कोई भी व्यक्ति समाज या संस्था इसे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। परंतु समस्या का एक व्यवहारिक सामाजिक पक्ष भी है जिस तरह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म सेजुड़ी संस्कृति पहचान को लेकर आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं या

राजनीतिक अलगाववादी आंदोलन चलाए जा रहे हैं,ऐसे में सामूहिक रूप से किया गया अथवा कराया गया धर्मांतरण अवश्य ही चिंता का **विषय** बन जाता है। धर्मांतरण उस स्थिति में और **विचारणीय** हो जाता है जब बलपूर्वक या लालच देकर कराया जाय। संविधान कही भी बलात धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं देता।

इतिहास और पिछले कुछ वर्षों का अनुभव इसका प्रमाण है कि हिंदू **मुस्लिम** वैमनस्य के पीछे कहीं मध्ययुगीन धर्मांतरण की खतरनाक यादें भी हैं।सिखसंस्कृति पहचान के **हिंसात्मक** रूप हम सन 1980 के दशक में देख चुके हैं।[8] पड़ोसी देश से मुस्लिम आतंकवाद से हमें कश्मीर में रोज लड़ना पड़ रहा है और दक्षिण राज्यों में भी मुस्लिम **धर्मांतरण** की प्रक्रिया वर्तमान में अपने चरमहै।**उत्तर** पूर्वी राज्यों में भी ईसाई आतंकवाद के उदाहरण सामने आ रहे हैं।यह पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर,मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में पहले आतंक **उग्रवाद** और अलगाववाद की घटनाओं के लिए ईसाई धर्मांतरण को ही जिम्मेदार मानते हैं। प्यू रिसर्च **सेंटर** के सर्वे में सामने आया कि भारत में सर्वाधिक **धर्मांतरण** हिंदुओं का हो रहा है।इसका सर्वाधिक लाभ **क्रिश्चियन** समुदाय मिला है। यह संख्या दक्षिण भारत **में** ज्यादा है। ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले तीन चौथाई 74% हिंदू अकेले दक्षिण के राज्यों से हैं। **उनकी** दृष्टि में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे **स्कूलों** में जो शिक्षा दी जाती है वह ईसाईयत को बढ़ावा देने वाली है।[9]जो भारतीय समाज संस्कृति परंपरा और राष्ट्रीय एकता के लिए शुभ संकेत नहीं है।यह **सही** है कि सामाजिक ऊच-नीच की भावना प्राय: सभी **समाजों** में प्रचलित रही है।किंतु जन्म पर **आधारित** जाति व्यवस्था भारतीय हिंदू समाज की अपनी **विशेषता** है।जनजातीय सन 1951 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या भारत की कुल **जनसंख्या** का 5.6% था और 2011 की जनगणना के अनुसार यह बढ़कर 8.66% हो गई।भारत में जनजातीय दो **विभिन्न** क्षेत्रों में बसे हैं।मध्य भारत और उत्तर **पूर्वी** क्षेत्र अनुसूचित जनजाति की आधी आबादी से अधिक आबादी मध्य प्रदेश 14.69% महाराष्ट्र,10.8% उड़ीसा,9.2% राजस्थान,गुजरात8.54%, झारखंड 8.29%, छत्तीसगढ़ 7% बसी है।उनमें से लगभग 89.10% ग्रामीण क्षेत्रों

में और 10.3% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।जनजातीय समुदायों का एक बड़ा भाग अभी भी अपनी आजीविका के लिए छोटे पैमाने की खेती जमीन और पहाड़ आधारित पशुधन पर निर्भर है।कुछ जनजातीय समुदाय विशेष रूप से वंचित जनजातीय समूह के रूप में जाने जाते हैं। वह जंगल और वन तथा पर्वतीय क्षेत्रों के परिधि में शिकार, भोजन संग्रह करता है और छोटे किसानों के रूप में रहते हैं।[10] यदपि की शिकार अब प्रतिबंधित है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ने राज्य जनजातीय विकास, सहकारी निगमो के माध्यम से वनोपज के संग्रह और विपणन का प्रबंधन इस तरह से करना शुरू कर दिया ताकि जनजातीय समाज को अधिकत्तम लाभ मिल सके।पिछले दिनों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और गुजरात में ईसाई मिशनरियों मुस्लिम संगठनों के साथ जो हिंसक घटनाएं हुई, उन्होंने भारत में धर्मांतरण और धार्मिक सहिष्णुता को एक बार पुनः विचारणीय बना दिया।अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भारतीय समाज की धार्मिक सहिष्णुता की रक्षा के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाई जानी चाहिए ? यदि हां, तो क्या यह मानवीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा ? यदि नहीं तो क्या संभव है कि धर्मांतरण की छूट रहते हुए भी धार्मिक शत्रुतान पनपे ? पर क्या इसके लिए संविधान में उचित व्यवस्था है या उसमें परिवर्तन जरूरी है ? उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह तो कहा जा सकता है कि दलित जातियों के धर्मांतरण के पीछे हिंदू समाज की विकृतियां हैं।किंतु यही कारण इसके लिए पर्याप्त नहीं है। सामाजिक ऊंच-नीच की मान्यताएं सभी समाजों में प्रचलित रही हैं, किंतु जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था भारतीय हिंदू समाज की अपनी विशेषता है इसलिए धर्मांतरण के प्रभावी कार्यों में आर्थिक कारण, विभिन्न सुविधाओं की प्राप्ति पर गंभीरता से विचार करना होगा। आर्थिक कारणों को आदिवासी समूह के धर्मांतरण के लिए विशेष प्रभावी कारन माना जा सकता है।उन्होंने ईसाई और अन्य धर्म जरूर अपनाया पर अपना जनजातीय धर्म नहीं छोड़ा ईसाई धर्म अपनाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। परन्तु उनकी सामाजिक स्थितिमें कोई

बड़ा गुणात्मक बदलाव नहीं आया।धार्मिक क्रियाकलापों में उन्हें समानता तो मिली पर लोक व्यवहार में उनके साथ भेदभाव जारी रहा।**यदि**वे हिंदू समाज की विकृतियों से ईसाई बने होते तो धर्मांतरण के बाद उनकी सामाजिक हैसियत बढ़ जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ।आजदलित **ईसाइयों** का कहना है कि धर्मांतरण के बावजूद उनकी **सामाजिक** स्थिति नहीं बदली है।इसलिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए।गोवा में आज भी सारस्वत ईसाई मिल जाते हैं और दक्षिण के तमिलनाडु में दलित ईसाइयों के अलग चर्च होते हैं।[11]

धर्मांतरण का सामाजिक एवं राजनीतिक पहलू भी है। इसका संबंध मतदाताओं की संख्याओं के राजनीतिक गणित से भी है।कतिपय ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा **कुचक्र** भी है जो हिंदू आबादी पर वर्चस्व प्राप्त करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश का अंग है।यह घृणा और **हिंसा** पर टिकी हुई है।ईसाई धर्म के चर्च की योजनाओं **में** प्रमुख रूप से ईसाइयत का विस्तार करना है।अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए **विदेशी** मिशनरी संस्थाओं से यहां की सारी संस्थाओं को **काफी** मात्रा में धन भी प्राप्त होता है जो उनके स्कूलों **अस्पतालों** एवं धर्म के प्रचार में लगाई जाती **हैंऔर** सुदूर आदिवासी इलाकों में प्रलोभन देकर उन्हें अपने धर्म के तरफ आकर्षित किया जाता है।[12]

धर्मांतरण विरोधी कानून :

भारत में धर्मांतरण **विरोधी** कानून एक विधायी उपाय हैं।इन कानूनों का **उद्देश्य** धर्मांतरण को रोकना अथवा प्रतिबंधित करना है।इन कानूनों में अपराधिक तथा सिविल दोनों दंड शामिल हैं।आलोचको का मानना है कि ये क़ानून **मानवाधिकारों** का उलंघन करते हैं।समय समय पर भारत सरकारद्वारा धर्मानतरण को रोकने के उपाय बनाये गए जिससे सामाजिक सामंजस्य बनाये रखा जा सके तथा धर्म विरोधी गतिविधियों को **प्रतिवंधित** किया जा सके।सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय के अनुसार धर्मान्तरण विरोधी कानून तब तक संवैधानिक है जब तक वे किसी व्यक्ति के धार्मिक अधिकार कि स्वतंत्रतामें हस्क्षेप नहीं करते।[13] इस सन्दर्भ में **सर्वोच्च** न्यायालय के निम्न निर्णयों का सन्दर्भ लिया जा सकता है[14]–

1.हादिया बनाम अशोकन के. एम।

2. के. एन. पुट्टू स्वामी गोपनीयता निर्णय 2017.

3.लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

4.सरला मुद्दगल बनाम भारत संघ।

निष्कर्ष

किसी को धोखे से लोभ दिखाकर किसी धर्म को नीचा बताकर धर्मांतरण कराना या करना कानूनी अपराध है। किंतु विचारणीय यह है कि इसे कैसे रोका जा सकता है।जिस गरीबी और दरिद्रता में जीवन व्यतीत करने के लिए हजारों जनजातीय और दलित मजबूर हैं।यदि ऐसी अवस्था में अपनी बेहतरी के लिए वे धर्म परिवर्तन करते हैं तो भला उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है।किंतु इससे धर्मांतरण से उत्पन्न समस्याओं से नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए दोनों पक्षों को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है।हिंदू धर्म के समर्थक ईसाईयों एवं मुस्लिमों की आलोचना तो धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं लेकिन उन परिस्थितियों का ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक विश्लेषण करने से साफ मुकर जाते हैं।यही कारण है ईसाई संगठन अपने कार्य में सफल हो जाते हैं।इस प्रकार ईसाई एवं मुस्लिम संगठन भारत की कुछ विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में रह रही जनजातियों को अपने पैसे के बलबूते पर थोड़ा सा धन, पद देने का लालच देकर उनकी धार्मिक विचारो में परिवर्तन तो करा देते हैं किंतु उनकी मूल समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं कर पाते। कर पाना संभव भी नहीं क्योंकि ईश्वर के स्थान पर ईसा मसीह या अल्लाह को स्थापित कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि धर्मांतरण भी दलित को आर्थिक सामाजिक बराबरी नहीं दे सकता।ऐसे मेंधर्मांतरण के औचित्यपर ही प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने, पालन करने और अन्य धर्मो के व्यक्तियों को आकर्षित करने की लोकतांत्रिक आजादी है जो अंतरण की स्वतंत्रता का ही दूसरा पक्ष है।बलपूर्वक अथवाआर्थिक प्रलोभन देकर धर्मान्तरण गैर विधिक है, असामाजिक है। ऐसे कृतियों पर निश्चित रूपसे

प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।ऐसी कृतियांबहुधा सामजिक वैमनस्य पैदा करती हैं।ईसाइयत ने अपने धर्म प्रचारवादी नीति का अवलम्ब लेकर भारत कि संस्कृति को प्रभावित करने के अथक प्रयास किये।जनजातीय समाज को **आर्थिक** प्रलोभन देकर अपनी प्रसारवादी विचार को थोपने का प्रयास किया।इसका प्रभावभी पड़ापरन्तु भारतीयता की पहचान अप्रभावित रही।[15]

आज की परिस्थितियों में धर्मांतरण काऔचित्य शुन्य है क्योंकि यह अपने घोषित उद्देश्य में असफल तथा धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाला है।धर्मांतरण कराने वाला धर्मांतरण करने वाला धर्मांतरण का विरोध करने वाला तथा धार्मिक **शुद्धिकरण** द्वारा पुनः पुराने धर्ममें वापस आने का **प्रयास** करने वाला व्यक्ति या संस्थाए यह स्वीकार करने का साहस नहीं रखती।आज आवश्यकता इस बात **की** है कि हर धर्म केअनुयायी पहले अपने अंदर देखें कि उन्होंने स्वयं अपने धर्मावलंबियों के साथ **क्या** किया? भारत के अभावग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को सुविधा प्रदान करने के नाम पर एवं सीमा पार से इस्लामिक संगठन अपनी उग्रबर्बर विस्तार वादी परंपराओं का अवलोकन करें।जिनके चलते पूरी दुनिया गहरे संकट में फंसी है।उन्हें अपनों का विश्लेषण करना चाहिए।इनके कारण उनका **धर्म** का सिद्धांत दूषित हुआ है।विभिन्न धर्मों के साथ जुड़ी ऐतिहासिक हिंसा के आधार पर हम कह सकते हैं **कि** आज की दुनिया में जो धर्म अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने का दावा करता है वह उचित धर्म नहीं है।**क्योंकिइसी** के चलते ही सांप्रदायिक वैमनस्य फैलता है एवं **धर्मांतरण** का कारण बनता है।[16]

संदर्भ

1. नदीम हसनैन ट्राइबल **इंडिया**, पलक प्रकाशन, दिल्ली, 1992, पृ. 67.
2. लोकुर समिति का **प्रतिवेदन** 1964.
3. जयनारायण पाण्डेय. भारत का सविधान. सेंट्रल ला एजेंसी,इलाहबाद 1998.पृ. 67.
4. एस. एल. दोषी, समकालीन मानवशास्त्र,रावत प्रकाशन, जयपुर, 2016, पृ. 352.
5. रमणिका गुप्ता, आदिवासी **विकास** से विस्थापन. राधाकृष्णन प्रकाशननई **दिल्ली**, 2018 पृ 123

Corresponding Author: drsy94@gmail.com

6. एस.एल. दोषी, वही,

7. नदीम हसनैन, वही.

8. बंदना टेटे, आदिवासी **साहित्य**,स्पेस पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली. 2017. पृ 156.

9. आदिवासी दर्शन एवं **साहित्य**,स्पेस पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली.2006. पृष्ठ.**संख्या**35.

10. विशाला शर्मा,आदिवासी **साहित्य** संस्कृति स्वराज प्रकाशन नई दिल्ली 2015 **पृष्ठ** संख्या 21

11. गंगा सहाय मीणा,**आदिवासी** चिंतन की भूमिका अनन्या प्रकाशन नई दिल्ली 2016 पृष्ठ संख्या 35

12. विनायक तुकाराम,**आदिवासी** कौनअनामिका पब्लिशरनई दिल्ली.2008. पृष्ठ **संख्या**.251.

1. 13.दुर्गादास बसु,भारत का **संविधान** एक परिचय. नई दिल्ली. बाधवाएंडकंपनी **प्रकाशन**.पृ.12.

13. उमाशंकर चौधरी. हास्य की वैचारिकी. अनामिका पब्लिशर्स नई दिल्ली. 2018.

14. डॉ हरीचंद्रउप्रेती,भारतीय जनजातिया,राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी. जयपुर पृ 187.